

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/ 705

दिनांक:- 9/10/2020

### कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा मण्डल कर्मचारियों/पत्रकारों/माननीय विधायकों/सांसदों को विभिन्न शहरों में पूर्व के वर्षों में प्लिंथ लेवल/स्केलटन आवासों का आवंटन किया गया था। जिनके आवंटन पत्रों में निर्माण सम्बन्धी कोई शर्त नहीं लगाये जाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों, पत्रकारों, माननीय विधायकगण व सांसदगण द्वारा निर्माण कार्य नहीं करवाया गया। जोधपुर में मण्डल कर्मचारियों/पत्रकारों/माननीय विधायकों/सांसदों को लगभग 625 प्लिंथ/स्केलटन स्तर के आवासों का आवंटन किया गया। आवंटन पत्र में निर्माण सम्बन्धी शर्त का उल्लेख नहीं होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/248 दिनांक 07-07-2020 के द्वारा एक बारीय राहत प्रदान करते हुए अब तक निर्माण नहीं किये जाने की देरी को माफ (Condone) करते हुए नये सिरे से 02 वर्ष की अवधि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 243 वीं बैठक दिनांक 21-09-2020 में उक्तानुसार निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 243.06 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा आवंटित प्लिंथ लेवल/स्केलटन आवासों के निर्माण की समय सीमा में एक बारीय राहत दिये जाने के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय की पालना में कार्योत्तर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

  
(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

### प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त (मुख्यालय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-.....राजस्थान आवासन मण्डल, .....
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, .....
9. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक